अपील (धारा 121) प्रकरण सं0 07/2019 (RCMS 2019/00) जगदीश राय पुत्र श्री मोतीलाल जाति लखोटिया निवासी श्रीविजयनगर तहसी श्रीविजयनगर जिला श्रीगंगानगर (राज.) बनाम अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका श्रीविजयनगर जिला श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

20.02.2019

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी के अधिवक्ता श्री विक्रम बिश्नोई उपस्थित है। एडमिशन के बिन्दु पर प्रार्थी के अधिवक्ता को सुना गया और पत्रावली का अवलोकन किया गया। तो पाया कि यह अपील अपीलार्थी द्वारा नगरपालिका विजयनगर के आदेश दिनांक 20.07.2018 के विरूद्ध पेश की गई है, जिसके द्वारा पूर्व में रसीद संख्या 40/251 दिनांक 03.05.2018 के द्वारा जगदीश राय के पक्ष में किया गया नामान्तरण आदेश दिनांक 06.06.2018 निरस्त किया गया है।

प्रार्थी के अधिवक्ता का कथन है कि नगरपालिका विजयनगर क्षेत्र में भूखण्ड संख्या 08 एक नोहराजत 44 गुणा 100 शिवलाल पुत्र बंसीलाल के नाम से दिनांक 07.05.1940 को आवंटित हुआ था जो कि शिवलाल पुत्र बंसीलाल की मृत्यु के उपरान्त हीरालाल एवं मोतीलाल पुत्रगण शिवलाल प्रत्येक के नाम 1/2 हिस्सा दर्जशुदा था जो मोतीलाल की मृत्यु के पश्चात जगदीश पुत्र मोतीलाल के नाम से 1/2 हिस्सा दर्ज हुआ एवं हीरालाल की मृत्यु के पश्चात उसका 1/2 हिस्सा पार्वती पत्नी हीरालाल के नाम दर्ज हुआ।

उनका आगे यह कथन है कि पार्वती की मृत्यु के पश्चात उसके वारिसों द्वारा पारिवारिक बंटवारा के तहत पार्वती पत्नी हीरालाल का बतौर वारिस वंशमूल 1/2 हिस्सा जगदीश राय पुत्र मोती लाल को दे दिया गया, जिसके साक्ष्य प्रस्तुत करने पर बाद जांच पार्वती देवी पत्नी हीरालाल का 1/2 हिस्सा जगदीश राय के नाम नामान्तरित करने का आदेश दिनांक 06.06.2018 के द्वारा अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका, श्रीविजयगनर द्वारा दे दिया गया एवं अधिशाषी अधिकारी द्वारा आदेश दिनांक 20.07.2018 को बिना सूचना उक्त नामान्तरकरण की कार्यवाही को निरस्त कर दिया, जो कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतो के विरूद्ध है, इसलिए अपीलकृत आदेश दिनांक 20.07.2018 निरस्त करने योग्य है।

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

उनका आगे यह कथन है कि नगरपालिका अधिनियम में पूर्वादेश को रिव्यू करने का कोई प्रावधान नहीं है। इसलिए भी उक्त आदेश दिनांक 20.07.2018 निरस्त करने योग्य है। अतः उनकी अपील सुनवाई हेतु ग्रहण की जावे और आदेश दिनांक 20.07.2018 निरस्त किया जावे।

मैनें पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि यह अपील अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका, विजयनगर के आदेश दिनांक 20.07.2018 के विरूद्ध पेश की गई है जिसके द्वारा पूर्व में पारित आदेश 06.06.2018 को रिव्यू करके उनके पक्ष में रसीद संख्या 40/251 दिनांक 03.05.2018 से तस्दीक किये गए नामान्तरण को निरस्त किया गया है। उक्त आदेश के विरूद्ध यह अपील दिांक 20.08.2018 को इस न्यायालय में नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 121 के तहत पेश की गई है। अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका विजयानगर द्वारा दिनांक 20.07.208 को निम्न प्रकार से आदेश पारित किया गया है :

कार्यालय नगरपालिका श्रीविजयनगर जिला श्रीगंगानगर (राज.)

क्रमांक : 2750 दिनांक 20.07.18

कार्यालय आदेश

श्री जगदीश राय पुत्र श्री मोतीलाल,
श्रीविजयानगर

इस कार्यालय की रसीद सं. 40/251 दिनांक 03.05.2018 के द्वारा आपके नाम से किया गया नामान्तरण अपंजीकृत पारिवारिक बंटवारनामा होने तथा पूर्व में इस संबंध में आपको नोटिस जारी किये जाने के पत्रावली में अंकित तथ्यों को भूमि शाखा कर्मी श्री दीपक कुमार द्वारा निम्न हस्ताक्षरकर्त्ता से छुपाये जाने तथा निम्न हस्ताक्षरकर्त्ता के समक्ष पत्रावली में अंकित सम्पूर्ण तथ्यों की जानकारी प्रस्तुत न किये जाने के कारण उक्त नामान्तरण तथा फर्द प्रमाण पत्र को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता है।

सूचित रहें।

-sd-
अधिशाषी अधिकारी
नगरपालिका श्रीविजयनगर

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

उक्त आदेश दिनांक 20.07.2018 के विरूद्ध यह अपील अपीलार्थी द्वारा राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 121 के तहत इस न्यायालय में पेश की गई है। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 121 निम्न प्रकार से है :

> 121. <u>कराधान से संबंधित अपीले</u> :
>
> कर निर्धारण या कर–निर्धारण में किसी परिवर्तन के विरूद्ध अपील, और ऐसे समस्त मामलों में, जिनमें यथापूर्वोक्त कोई अपील नहीं की गई है, धारा 130 के अधीन मांग के नोटिस के विरूद्ध अपील, कलक्टर को या ऐसे अन्य अधिकारी को, जो राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त सशक्त किया जाये, की जा सकेगी।
>
> 130. <u>मांग का नोटिस</u> :
>
> यदि उस राशि का , जिसके लिए पूर्वोक्त रूप से कोई बिल प्रस्तुत कर दिया गया है, संदाय, उसके प्रस्तुत किये जाने से पन्द्रह दिवस के भीतर–भीतर नगरपालिका कार्यलय में या किसी नियम द्वारा इस निमित्त ऐसा संदाय प्राप्त करने के लिए प्राधिकृत व्यक्ति को नहीं किया जाता है तो नगरपालिका ऐसे व्यक्ति पर, जिसे ऐसा बिल प्रस्तुत किया गया है, चौथी अनुसूची के प्ररूप में या वैसे ही आशय का मांग का नोटिस तामील करवा सकेगा।

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

उक्त अधिनियम की धारा 121 के प्रावधानों के अवलोकन से पाया गया कि इस धारा के तहत केवल कर निर्धारण या कर निर्धारण में किसी परिवर्तन के विरूद्ध ही अपील पेश की जा सकती है जबकि अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका द्वारा पूर्व में रसीद संख्या 40/251 दिनांक 03.05.2018 द्वारा किये गए नामान्तरण को अपने आदेश दिनांक 20.07.2018 के द्वारा निरस्त किया है।

चूंकि प्रार्थी की अपील नामान्तरण के निरस्तीकरण आदेश से सम्बन्धित है इसलिए उक्त धारा 121 के तहत इस न्यायालय में सुनवाई हेतु ग्रहण करने योग्य नहीं है। अतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील इसी आधार पर खारिज की जाती है। अपीलार्थी यदि चाहे तो नगरपालिका विजयनगर के आदेश दिनांक 20.07.2018 के विरूद्ध अन्यत्र सक्षम न्यायालय में राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के प्रावधानों के तहत कार्यवाही करने के लिए स्वतन्त्र है। अपील दर्ज होकर नम्बर से कम हो।

यह आदेश आज दिनांक 20.02.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शिवप्रसाद मदन नकाते)
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर